

(आठ 20 नियम 6 / जा0पी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
 वईजलास श्री सी.एल.रामा (आर0ए0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री डालु मुतवन्ना मोहन कुम्हार निवासी - शिवपुरा, तहसील - माण्डल [वादी] सुतिठके
 १०००पी० डालु कुम्हार १३३५५ वादितान

५/५


१. वेदा ड० नैना कुम्हार निवासी - शिवपुरा, तहसील - माण्डल
२. धन्ना ड० नैना कुम्हार निवासी — " —
३. बक्षु ड० नैना कुम्हार निवासी — " —
४. शांतिलाल ज० सुखा कुम्हार निवासी — " —
५. जाधु ड० सुखा कुम्हार निवासी — " —
६. श्री स्वयंभारायण ड० सुखा कुम्हार निवासी — " —
७. छगु ड० सुखा कुम्हार निवासी — " —
८. भीमा ड० धन्ना कुम्हार निवासी — " —
९. लाट्टु ड० धन्ना कुम्हार निवासी — " —
१०. रमु ड० धन्ना कुम्हार निवासी — " —
११. राजी ड० धन्ना कुम्हार निवासी — " —
१२. हेमी ड० धन्ना कुम्हार निवासी — " — प्रतिवादी
१३. राजस्थान राज्य ऊरिये तहसील ६४ माण्डल

वाद अन्तर्गत धारा ४४, १४४... मुकदमा नं० / वष ९९/१६ निर्णय दिनांक ५-६-१८

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत प हिजरी दक्कील वादी
 मिनजानिव मुददई व श्री शरदकुमारपालीवाल मालाभिव मुदावला पेश होकर हुकम
 दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोकली
 पटवार हंल्का चरखेड तहसील माण्डल मे स्थित आराजी क्षेत्र १०२ अवा
 ०१ बीघा व १६३।१०२ मे ०१ बीघा ०१ सिस्वा मे से ०१ बीघा ०१ किस्वा
 भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।
 प्रतिवादीगण के खाते से ०१ बीघा ०१ सिस्वा भूमि राजस्व अभिलेखसे
 हटायी जाकर वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे अमल दरागद किये
 जाने का आदेश दिया जाता है।

रचर्चा फरिक्केन अपना- अपना वहम करे।

आज तारीख ५-६-१८ को मेर इस्तानर २० न्यायालय को मोहर प जाश की गई।


 उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल जिला भीलवाड़ा